"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005 (अग्रहायण 28, 1927)

क्रमांक- 14148/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 74 के अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005), पर गठित प्रवर समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा उक्त समिति द्वारा संशोधित विधेयक, जो विधान सभा में दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत किया गया है, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005); पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

विषय-सूची

प्रस्तावना

मैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) पर गठित प्रवर समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, इस प्रतिवेदन को, प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूं.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) सभा में दिनांक 23 मार्च, 2005 को पुरः स्थापित किया गया.

3. दिनांक 24 मार्च, 2005 को विधेयक पर विचार के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग करने पर कृषि मंत्री (भारसाधक सदस्य) माननीय श्री ननकीराम कंवर द्वारा विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव (परिशिष्ट-एक) प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया.

4. छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 73 (1) के अनुसार समिति द्वारा प्रतिवेदन जुलाई, 2005 सत्र में प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2005 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की गई.

5. दिनांक 17 मई, 2005 को समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्ति, निकाय, संघ, संगठन अथवा संस्थाओं से दिनांक 6 जून, 2005 तक उनके सुझाव/आपत्तियां, यदि हों, आमंत्रित की जाएं तथा यदि कोई व्यक्ति सुझाव/आपत्तियां भेजने के अतिरिक्त मौखिक रूप से समिति के समक्ष साक्ष्य देने के भी इच्छुक हों तो लिखित रूप में इस आशय का आवेदन करें. तद्नुसार दिनांक 21 मई, 2005 को प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, नवभारत एवं हरिभूमि के छत्तीसगढ़ के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई. (परिशिष्ट-दो)

6. प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियमानुकूल एक सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुई. (परिशिष्ट-तीन)

7. समिति की दिनांक 17 मई, 25 मई, 14 जून, 17 अगस्त, 28 अगस्त, 30 सितम्बर, 5 दिसम्बर तथा 12 दिसम्बर, 2005 को कुल 8 बैठकें हुईं.

8. समिति द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2005 की बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 29 अगस्त, 2005 से पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य का अध्ययन दौरा किया जाय. तद्नुसार दिनांक 29 अगस्त, 2005 से 4 सितम्बर, 2005 तक समिति ने पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का अध्ययन दौरा किया तथा पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग तथा मंडी बोर्ड के अधिकारियों से विधेयक के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की. (परिशिष्ट-चार)

9. समिति द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2005 को विधेयक पर खंडशः विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया कि विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिकर्ता का साक्ष्य तथा कृषि व विधि विभाग के प्रमुख सचिवों से चर्चा की जाये. तद्नुसार समिति की बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 में कृषि तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा तथा आपत्तिकर्ता का पक्ष समिति द्वारा सुना गया.

10. दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जाकर अनुमोदित किया तथा प्रतिवेदन को दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु सभापति को प्राधिकृत किया गया.

रायपुर :

बद्रीधर दीवान,
सभापति.

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2005

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) पर गठित प्रवर समिति के सदस्यों की सूची

(गठन दिनांक 24 मार्च, 2005)

सभापति

1. माननीय श्री बद्रीधर दीवान

सदस्य

2. माननीय श्री रविन्द्र चौबे
3. माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया
4. माननीयश्री प्रीतम सिंह दीवान
5. माननीय श्री अघन सिंह ठाकुर
6. माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा
7. माननीय श्री सिद्धनाथ पैकरा
8. माननीय श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री

*9. माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री

विधान सभा सचिवालय

1. श्री देवेन्द्र वर्मा, सचिव
2. श्री चन्द्रशेखर गंगराडे, उप सचिव
3. श्री संतोष कुमार खरे, उप सचिव
4. श्री रमेश नारायण श्रीवास्तव, अवर सचिव

---

* विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 68 के उप नियम (2) के तहत दिनांक 6 जुलाई, 2005 को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया.

प्रतिवेदन

समिति नें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) में धारा 2, 32(क), 36, 37, 41 एवं धारा 44 को संशोधित करने संबंधी प्रावधानों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया एवं इस संशोधन विधेयक के सदन में प्रस्तुति दिनांक 24 मार्च, 2005 को भार साधक सदस्य द्वारा सभा में विचार के लिये प्रस्तुत किये जाने के उपरांत मान. सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का भी मनन किया.

सभा के द्वारा इस संशोधन विधेयक के प्रावधानों के संबंध में जो चिन्ता मुख्य रूप से व्यक्त की गई थी, वह यह थी कि संविदा खेती को विधि मान्यता दिए जाने से छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों का पूर्ण रूप से हित संवर्धित सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा. समिति की बैठकों में भी समिति की यही राय थी कि फसल चक्र परिवर्तन और भारत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संविदा खेती से उन्नत कृषि की संभावनायें विकसित की जा सकती है किन्तु विधेयक का प्रारूपण इस प्रकार से होना चाहिए कि कृषकों का हित संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके. अन्य राज्यों में लागू समान अधिनियम एवं उनके कार्यान्वयन के अध्ययन के उद्देश्य से समिति ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल राज्य का अध्ययन दौरा भी किया और विभिन्न राज्यों के अधिनियमों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया.

उक्त परिप्रेक्ष्य में विचारोपरांत समिति ने यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाए :-

1. खण्ड-2 : पद (ड. ड. ड.) के पश्चात् नवीन पद (ड. ड. ड़. ड.), (ड. ड. ड. ड. ड.) एवं (ड. ड. ड. ड. ड. ड.) जोड़ें जाएं.
2. खण्ड-3, 4 तथा 5 : यथावत् रखें जाएं.
3. खण्ड-6 : पद (1) को संशोधित किया जाए.
4. खण्ड-7 : पद (त्त) को संशोधित किया जाए.
5. खण्ड-8 : यथावत् रखा जाए.

समिति के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधेयक को प्रस्तावित संशोधनों के साथ प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है.

समिति यह अनुशंसा करती है कि भार साधक सदस्य प्रतिवेदन में संलग्न संशोधित प्रारूप अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करें.

[प्रवर समिति द्वारा यथा-संशोधित]

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बंद कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये अंशों को गहरा कर रेखांकित कर दिया गया है]

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 6 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005

विषय-सूची

खण्ड :

[प्रवर समिति द्वारा यथा-संशोधित]

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बंद कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये अंशों को गहरा कर रेखांकित कर दिया गया है]

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 6 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को संशोधित करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 है. — संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम मे विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 की उपधारा (1) में खण्ड [(च) के पूर्व] **(ङङ) के पश्चात्** निम्नलिखित खण्ड अन्त: **स्थापित किए जाए**, अर्थात् :- — धारा 2 का संशोधन.

(ङङङ) "संविदा खेती" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी;

(ङ ङ ङ ङ) "संविदा खेती करार" से अभिप्रेत है, संविदा खेती हेतु संविदा खेती क्रेता एवं संविदा खेती उत्पादक के मध्य हुआ करार;

(ङ ङ ङ ङ ङ) "संविदा खेती उत्पादक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूमि पर किसी संविदा खेती के लिखित करार के अधीन कृषि उपज उत्पादित करता है;

(ङ ङ ङ ङ ङ ङ) "संविदा खेती क्रेता" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो कंपनी या भागीदारी फर्म जो संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि उपज को संविदा खेती उत्पादक से क्रय करता है.

3. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :- — नई धारा 32 क का जोड़ा जाना.

32-क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये अनुज्ञप्ति.

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीनीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित किया जाए, आवेदन करेगा.

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा.

(3) इस धारा के अधीन मंजूर, की गई या नवीनीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होंगी.

धारा 36 का संशोधन.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(1) मूल मंडी में विक्रय के लिए लाई गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज उपधारा (2) के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, ऐसी उपज के लिए विनिर्दिष्ट किये गये मंडी प्रांगण/प्रांगणों में या उपविधियों में यथा उपबंधित ऐसे अन्य स्थान पर बेची जाएगी.

परन्तु संविदा खेती के अधीन उत्पादित की गई कृषि-उपज को मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा तथा उसे किसी भी अन्य स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रित किया जाएगा, जो करार के अधीन उसे क्रय करने के लिये सहमत है."

(2) धारा-36 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(4) इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्त तौलैया द्वारा और ऐसी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जैसी कि उप विधियों में उपबंधित की जाए या उपमंडी प्रांगण या मंडी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य स्थान पर की जाएगी.

परन्तु केला, पपीता या किसी ऐसी अन्य विनिश्वर, कृषि उपज की जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति तौल, माप या गणना किसी अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहां ऐसी उपज उगाई गई हो."

धारा 37 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा-37 की उपधारा (3) में शब्द "मंडी प्रांगण" के पश्चात् शब्द "या उपविधियों में उपबंधित ऐसे अन्य स्थान" जोड़ा जाए,

नई धारा 37-क का जोड़ा जाना.

6. मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-

37-क संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन.

(1) संविदा खेती, संविदा खेती के [कृषि] उपज के उत्पादक और क्रेता के बीच [किसी] लिखित करार (अनुसूची-क में दर्शित आदर्श प्रारूप में) के अधीन ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, [की जाएगी] जैसी की उप-विधियों में विहित की जाए, की जाएगी [ऐसे प्ररुप में होगा, जिसमें ऐसी विशिष्टयां, निबंधन तथा शर्तें अंतर्विष्ट होंगी जैसी कि उप विधियों द्वारा विहित की जाएं.

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिये "उत्पादक और क्रेता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि-उपज क्रमशः उत्पादित और क्रय करता है.]

(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिये मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा. मंडी समिति, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाएं, रजिस्टर करेगी.

(3) यदि करार के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिये मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, मंडी समिति का अध्यक्ष सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा.

(4) उपधारा (3) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि-उपज मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को विक्रीत की जाएगी जैसा कि उप-विधियों द्वारा विहित किया जाए. ऐसा कृषि उपज के क्रेता द्वारा मंडी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए,

7. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) खण्ड (च) एवं खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाए, अर्थात् :- **धारा 41 का संशोधन.**

"(च) छत्तीसगढ़ विधान सभा के [दो] तीन सदस्य, जिसमें से कम से कम एक महिला हो जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नाम-निर्दिष्ट किये गये हों ;

(छ) मंडी समितियों के तीन अध्यक्ष जिनमें से कम से कम एक महिला हो"

8. मूल अधिनियम की धारा-44 के खण्ड (दस-ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :- **धारा 44 का संशोधन.**

(दस-ङङ) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग की गोशालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल के लिए कुल वार्षिक प्राप्ति का 5% की दर से वार्षिक अनुदान प्रदाय हेतु.

अनुसूची-क

[धारा 37-क (1) देखिये]

संविदा कृषि के लिए आदर्श अनुबंध

(अनुबंध के सभी खण्ड आदर्श संविदा कृषि अनुबंध की विषयवस्तु के अधीन दी गई संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्यधीन है)

यह अनुबंध .... में .... माह .... के .... दिन .... (वर्ष) में .... (नाम/पद) आयु .... निवासी .... जिसे/जिन्हें इसके बाद प्रथम भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ और उसके अर्थ से असंगत न हो, उसका अभिप्राय वही होगा एवं उसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) एक पक्ष और में /.. एक निजी/सार्वजनिक मर्यादित कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में है, जिसको इसके बाद द्वितीय भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ एवं उसके अर्थ से असंगत न हो उसका अभिप्राय वही होगा और उसमें उसके उत्तराधिकारी और समुनेदेशिती सम्मिलित होंगे) दूसरा भाग, के बीच सम्पन्न किया गया है और प्रवेश किया गया है.

जबकि प्रथम भाग का पक्षकार, निम्नांकित नम्बरों वाली कृषि भूमि का स्वामी/कृषक है :

ग्राम	मानांक	हेक्टर में क्षेत्रफल	तहसील एवं जिला	राज्य

और जबकि द्वितीय भाग का पक्षकार कृषि उपज में व्यापार कर रहा है और भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और ऐसी ही समान मुद्दों पर तकनीकी समझ भी दे रहा है.

और जबकि द्वितीय भाग के पक्षकार की रुचि, कृषि उपज की वस्तुओं में, विशेषकर जो इसके साथ अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लिखित है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, प्रथम भाग का पक्षकार खेती करने और इसके साथ अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लिखित कृषि उपज की वस्तुएं पैदा करने के लिये सहमत हो गया है.

और जबकि इससे सम्बद्ध पक्षकारगण एतद् पश्चात् प्रगट होने वाले तरीके से निबंधनों एवं शर्तों को लेखबद्ध करने के लिए सहमत हो गये हैं.

अब ये साक्ष्य हो तथा एतद्द्वारा और पक्षकारों के बीच यह इस प्रकार निम्नानुसार सहमति हुई है :

खण्ड - 1

प्रथम भाग के पक्षकार द्वितीय भाग के पक्षकार के लिये खेती करने और उपज प्रदाय करने के लिये सहमत है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार से कृषि उपज की वस्तुएं, जिनकी विशिष्टियां, गुणवत्ता, मात्रा और वस्तुओं का मूल्य विशेषकर एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित है, क्रय करने के लिए सहमत है.

खण्ड - 2

वह कृषि उपज जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित है इसके बाद की तारीख से .... माह/वर्षों की अवधि के अन्दर प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा द्वितीय भाग के पक्षकार को प्रदाय की जायेगी.

या

एतद् पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति हुई है कि यह अनुबंध उस कृषि उपज के लिए है जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में वर्णित है तथा .... माह/वर्षों की अवधि के लिए है तथा कथित अवधि के अवसान हो जाने के बाद, यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा.

खण्ड-3

प्रथम भाग का पक्षकार द्वितीय भाग के पक्षकार को एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लिखित खेती करने, उपजाने और मात्रा, प्रदाय के लिए सहमत है.

खण्ड-4

प्रथम भाग का पक्षकार अनुबद्ध प्रपत्र "क" में गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा की गई मात्रा प्रदाय करने के लिए सहमत है. यदि सहमत गुणवत्ता मानक के अनुसार कृषि उपज नहीं है, तो द्वितीय भाग का पक्षकार इसी कारण पर कृषि उपज का परिदान लेने से मना करने का हकदार होगा, तब-

(क) प्रथम भाग का पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार को आपस में किये गए सौदागत मूल्य पर उपज बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा.

या

(ख) खुली मण्डी में (थोक क्रेता अर्थात् निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता आदि को) और यदि वह संविदा की गई उपज से कम मूल्य पाता है तो वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके निवेश के लिये यथा-अनुपात कम का भुगतान करेगा.

या

(ग) मण्डी प्रांगण में और यदि उसके द्वारा प्राप्त मूल्य संविदा किए गए मूल्य से कम है, तब द्वितीय निवेश के पक्षकार के लिए यथा अनुपात कम लौटायेगा.

द्वितीय भाग का पक्षकार अपने स्वयं के कारणों से संविदा की गई उपज का परिदान लेने से मना करता है/में असफल रहता है, जब प्रथम भाग का पक्षकार उपज खुली मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि प्राप्त किया गया मूल्य संविदा मूल्य से नीचे है, तो अंतर द्वितीय भाग के पक्षकार के खाते पर होगा, द्वितीय भाग का पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार को कथित अन्तर विनिश्चित करने से .... दिवस की अवधि के अंदर अंतर का भुगतान करेगा.

खण्ड-5

द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा समय-समय पर सुझाये अनुसार प्रथम भाग का पक्षकार भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और किन्ही अन्य निर्देशों/प्रणालियों को अपनाने और एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित विनिर्दिष्टियों के अनुसार खेती करने और वस्तुएं उत्पादित करने के सहमत है.

खण्ड-6

पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि खरीदी निम्नलिखित निबन्धनों के अनुसार होगी और क्रय के तुरन्त बाद खरीद पर्चियां जारी की जावेगी.

दिनांक	परिदान बिन्दु	परिदान का मूल्य

यह और सहमति है कि सहमत परिदान बिन्दु पर परिदान अर्पित करने के बाद द्वितीय भाग के पक्षकार का संविदागत उपज का आधिपत्य लेने का उत्तरदायित्व होगा तथा यदि .... अवधि के अन्दर वह परिदान लेने में असफल होता है तब प्रथम भाग का पक्षकार संविदागत कृषि उपज को निम्नानुसार बेचने के लिए स्वतंत्र होगा :

(क) खुली मण्डी में (थोक क्रेता, अर्थात् निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता आदि को) और यदि वह संविदागत मूल्य से कम पाता है, तो वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके निवेश के लिये यथा अनुपात कम भुगतान करेगा.

(ख) मण्डी प्रांगण में, और यदि प्राप्त मूल्य से संविदागत मूल्य से कम है, तब वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके विनियोग के लिये यथा अनुपात कम लौटायेगा.

यह और सहमति है कि मार्ग में गुणवत्ता रख-रखाव, द्वितीय भाग के पक्षकार का उत्तरदायित्व होगा और प्रथम [illegible] उत्तरदायी या दायी नहीं होगा.

खण्ड-7

जब फसल काट ली जाय और द्वितीय भाग के पक्षकार को परिदान कर दी जाय, प्रथम भाग के पक्षकार को द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा दिये गये अवशेष अग्रिमों को घटाकर, द्वितीय भाग का पक्षकार अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित मूल्य/भाव, प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान करेगा. भुगतान के लिये निम्नांकित अनुसूची अपनाई जावेगी :-

दिनांक	भुगतान की रीति	भुगतान का स्थल

खण्ड-8

एतद् अनुलग्न प्रपत्र "क" में उल्लेखित संविदा की गई उपज का एतद् पक्षकारगण .... अवधि के लिये विनिर्दिष्ट सम्पदा के ईश्वरीय कृत्य से विनाश, ऋण व्यक्तिक्रम और उत्पादन तथा आय हानि और पक्षकारगण के नियंत्रण के बाहर के अन्य समस्त कृत्य या घटनाएं जैसे कि बीमारी के गंभीर प्रादुर्भाव, महामारी या असामान्य मौसम की स्थिति, बाढ़, सूखे ओले, चक्रवात, भूकम्प, आग या अन्य विपत्तियों, युद्ध द्वारा कारित बहुत कम उत्पादन, शासन के कृत्य विद्यमान या इस अनुबंध के प्रभावी होने की तारीख के बाद जो पूर्णतया या आंशिक रूप से कृषक की बाध्यता पूर्ति रोकते हैं, के विरुद्ध बीमा करायेंगे. अनुरोध करने पर, प्रथम भाग का पक्षकार ऐसी कृतियों को अवलम्ब लेकर अन्य (दूसरे) पक्ष को विद्यमान तथ्यों की अभिपुष्टि प्रदान करेगा. ऐसा प्रमाण उपयुक्त शासकीय विभाग के प्रमाण-पत्र के विवरण के रूप में होगा. यदि ऐसे प्रमाण पत्र का विवरण युक्तियुक्त रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कृत्य के बदले में दावा करने वाला प्रथम भाग का पक्षकार दावाकृत तथ्यों को विस्तार से वर्णन करते हुए और कारणों का कि ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की अभिपुष्टि का प्रमाण-पत्र या विवरण का एक लेख्य-विवरण देगा. विकल्प के रूप में दोनों पक्षकारों के बीच आपसी अनुबंध के अध्यधीन, प्रथम भाग का पक्षकार अपने उत्पादन का कोटा अन्य स्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकता है और उससे उसके द्वारा भुगती गई मूल्य अंतर की हानि बीमा कम्पनी से वसूल की गई राशि विचार में लेने के बाद पक्षकरों के बीच समान रूप से बांटी जायेगी. बीमा की प्रब्याजि (प्रीमियम) दोनों पक्षकरों द्वारा समान रूप से साझा की (बांटी) जायेगी.

खण्ड-9

द्वितीय भाग का पक्षकार एतद्द्वारा प्रथम भाग के पक्षकार को खेती और फसल कटाई के प्रबंधन की अवधि में निम्नांकित सेवाएं प्रदाय करने के लिये सहमत है, जिन सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1.

2.

3.

4.

5.

खण्ड-10

द्वितीय भाग का पक्षकार प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित/नामित कृषकों के मंच के साथ संविदा अवधि में नियमित पारस्परिक आदान-प्रदान करते रहने के लिये सहमत है.

खण्ड-11

द्वितीय भाग का पक्षकार अपने स्वयं के व्यय पर समय-समय पर अपनाई गई कृषि प्रणालियों और उपज की गुणवत्ता का अनुश्रवण करने हेतु प्रथम भाग के पक्षकार की परिसर/प्रक्षेत्रों में प्रवेश करने के हकदार होंगे.

खण्ड-12

द्वितीय भाग का पक्षकार यह अभिपुष्ट करता है कि उसने अपने आप को पंजीयन प्राधिकारी .... के पास .... को पंजीकृत करा लिया है और वह इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार उस पंजीयन प्राधिकारी को शुल्क का भुगतान कर देगा, जिसे वर्णित भूमि .... पर की गई कृषि की कृषि उपज के विपणन का क्षेत्राधिकार प्राप्त है.

या

द्वितीय भाग के पक्षकार ने राज्य द्वारा इस संबंध में विहित पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपने आपको एकास्थानीय पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कर लिया है. संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उद्गृहित शुल्क द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा ही अनन्य रूप से वहन किया जायेगा और जिसमें कुछ भी किसी रीति में प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान की गई राशि से नहीं काटा जायेगा.

खण्ड-13

द्वितीय भाग का पक्षकार का प्रथम भाग के पक्षकार की भूमि/सम्पत्ति के स्वत्व, स्वामित्व, अधिपत्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा और न तो वह प्रथम भाग के पक्षकार को, खासकर भूमि सम्पत्ति से किसी प्रकार से अन्य संक्रामित पर हस्तांतरित करेगा, न ही प्रथम पक्षकार की भूमि सम्पत्ति को, इस अनुबंध के प्रवर्तन पर्यन्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बंधक, पट्टे, उप पट्टे पर देगा या अन्तरण करेगा.

खण्ड-14

द्वितीय भाग का पक्षकार, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुबंध की सत्यप्रति उसके निष्पादन के 15 दिवस के भीतर, जैसा कि कृषि उपज विपणन विनियम अधिनियम (कृषि उपज मण्डी अधिनियम) में अपेक्षित है, मण्डी समिति/पंजीकरण प्राधिकारी ..../इस उद्देश्य के लिये विहित किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

खण्ड-15

संविदा का विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा. ऐसा विच्छेद या अवसान/निरस्तीकरण विलेख, ऐसे विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण के 15 दिवसों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को संसूचित किया जायेगा.

खण्ड-16

इस अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा सम्बद्ध दोनों पक्षकारों के बीच हक और दायित्वों के संबंध में या एक पक्षकार का दूसरे के विरुद्ध आर्थिक अथवा अन्यथा दावे के संबंध में या इस अनुबंध के किसी निबंधनों के प्रभाव और शर्तों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होने की स्थिति में, ऐसा विवाद या मतभेद, इस उद्देश्य से गठित माध्यस्थम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा.

खण्ड-17

किसी पक्षकार के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, यह दूसरे पक्षकार को तथा पंजीकरण प्राधिकारी को भी संसूचित किया जाना चाहिये.

खण्ड-18

इस अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा सम्बद्ध प्रत्येक पक्षकार दूसरे के साथ अपने दायित्वों का पालन करने में तत्परता और ईमानदारी से स्वस्थ विश्वास में कार्य करेगा और दूसरे के हितों को संकट में डालने का कोई कार्य नहीं किया जायेगा.

इसकी साक्ष्य में पक्षकारों ने यह अनुबंध पहले ऊपर उल्लेखित .... माह के .... दिन और .... वर्ष पर हस्ताक्षरित किया है.

नाम के अधीन "प्रथम भाग के पक्षकार"
द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित
मुद्रांकित और प्रदत्त किया-

1 ....

2 ....

नाम के अधीन "द्वितीय भाग के पक्षकार"
द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित
मुद्रांकित और प्रदत्त किया-

1 ....

प्रपत्र-"क"

श्रेणी, निर्दिष्टि, मात्रा और मूल्य सारिणी

श्रेणी	निर्दिष्टि	मात्रा	मूल्य/भाव
श्रेणी-प्रथम या "क"	आकार, रंग, सुरभि (सुगंध) आदि		
श्रेणी-द्वितीय या "ख"			

परिशिष्ट-एक

(प्रस्तावना की कंडिका-3 देखिये)

प्रवर समिति को सौंपने हेतु विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

"छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रवर समिति को सौंपा जावे, जिसके सदस्य-

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री रविन्द्र चौबे
3. डॉ: शिवकुमार डहरिया
4. श्री प्रीतम सिंह दीवान
5. श्री अघन सिंह ठाकुर
6. श्री नोवेल कुमार वर्मा
7. श्री सिद्धनाथ पैकरा

होंगे."

परिशिष्ट-दो

(प्रस्तावना की कंडिका-5 देखिये)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रायपुर, दिनांक 21 मई, 2005

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) पर विचार हेतु गठित छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित किया जाना.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन्1973) में कृषि उत्पादों के व्यापार में उदारीकरण के कारण कृषक समुदाय को खुली एवं बहुद्देशीय विपणन व्यवस्था से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विपणन व्यवस्था को खुले मुक्त व्यापार मूलक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) लाया गया.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) पर विचार हेतु माननीय श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य विधान सभा के सभापतित्व में गठित छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा यह निश्चय किया गया है कि इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति, निकाय, संघ, संगठन अथवा संस्था जो अपने सुझाव या आपत्तियां प्रस्तुत करना चाहते हों, वे अपने सुझाव और आपत्तियों की तीन प्रतियां हिन्दी में तथा इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों, वे तत्संबंधी सूचना इस प्रकार भेजें कि जिससे **सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को दिनांक 6 जून 2005** तक प्राप्त हो सकें.

उपर्युक्त विधेयक "छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 49, दिनांक 23 मार्च, 2005 तथा वेब साईट www.chhattisgarh vidhansabha.org में उपलब्ध है.

सचिव

परिशिष्ट-तीन

(प्रस्तावना की कंडिका-6 देखिये)

विधेयक के संबंध में सुझाव/आपत्तियां देने वाले माननीय सदस्यों, व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

1. माननीय श्री चन्दूलाल साहू,
   सदस्य, विधान सभा.

2. माननीय श्री देवजी पटेल,
   सदस्य, विधान सभा.

3. श्री मेघनाथ साहू,
   प्रांताध्यक्ष,
   प्रांतीय कृषि उपज मंडी, तोलैया हमाल, रेजा संघ, छत्तीसगढ़,
   कृषि उपज मंडी,
   पंडरी तराई कांपा, रायपुर.

परिशिष्ट-चार
(प्रस्तावना की कंडिका-8 देखिये)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर गठित प्रवर समिति का पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

(दौरा दिनांक 29 अगस्त, 2005 से 4 सितम्बर, 2005 तक)

स्थान - किसान भवन
चंडीगढ़

दिनांक 31 अगस्त, 2005
समय 2.30 बजे अपरान्ह

पंजाब राज्य के कृषि विभाग एवं मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का संक्षेप

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे-

सभापति

1. माननीय श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, विधान सभा

सदस्य

2. माननीय श्री ननकीराम कंवर
3. माननीय श्री अघनसिंह ठाकुर
4. माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया
5. माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा
6. माननीय श्री प्रीतम सिंह दीवान

पंजाब राज्य के कृषि विभाग, मंडी बोर्ड तथा कृषि विकास निगम के अधिकारी

1. सुश्री सीमा जैन, सचिव, पंजाब मंडी बोर्ड
2. श्री एस. एस. रंधवा, महाप्रबंधक पंजाब मंडी बोर्ड
3. डॉ. गुरूदेव सिंह, संयुक्त संचालक, कृषि विभाग
4. श्री खुराना, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
5. श्री एस. एस. बरार, रिसर्च मैनेजर, पंजाब मंडी बोर्ड एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारीगण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

1. श्री चन्द्रशेखर गंगराडे, उप सचिव
2. श्री मनोहरलाल सोमकुंवर, अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड के अधिकारी

1. श्री उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड

सर्वप्रथम पंजाब मंडी बोर्ड की सचिव सुश्री सीमा जैन ने समिति का स्वागत किया एवं पंजाब राज्य कृषि विभाग एवं मंडी बोर्ड के अधिकारियों का परिचय कराया. परिचय के उपरांत सुश्री जैन ने पंजाब मंडी बोर्ड की कार्य प्रणाली के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी.

सुश्री जैन ने समिति को बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप जो सुधार मंडी अधिनियम में करना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संविदा खेती है. जिसे पंजाब सरकार फालो कर रही है. उन्होंने बताया कि हालांकि संविदा खेती के संबंध में पंजाब राज्य के अधिनियम में प्रावधान नहीं है लेकिन संविदा खेती पंजाब राज्य में वर्ष 2002 से मंडी बोर्ड के एक आदेश के तहत जारी है और संविदा खेती करने पर मंडी टेक्स जो वर्तमान में 4 प्रतिशत लगना है, उसके स्थान पर संविदा खेती को प्रोत्साहित करने केलिए मंडी टैक्स केवल 0.25 प्रतिशत लिया जाता है. तथा संविदा खेती के तहत उत्पादित कृषि उपज निर्यात करने पर सम्पूर्ण मंडी टैक्स से छूट दी जाती है. उन्होंने समिति को बताया कि संविदा खेती लागू करने के पीछे यह उद्देश्य था कि गेहूं तथा पेड्डी (चावल) की ही फसल लगाने से ही सेचुरेशन पाइन्ट आ गया था और इसके कारण बहुत ही समस्याएं आ रही थीं जैसे-फसल का अधिक उत्पादन होने से उसके भण्डारण की समस्या और भू-जल स्तर में गिरावट आना. संविदा खेती को प्रोत्साहित करने का मुख्य कारण फसल चक्र परिवर्तन भी है. इसके लिए सभी जिलों को जिले की भोगोलिक स्थिति के अनुसार टारगेट दिया गया कि कौन-कौन से क्षेत्र में कौन-कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगाना है.

श्री रंधावा ने समिति को बताया कि संविदा खेती के लिए शासन ने पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी घोषित किया है और मुख्य रूप से फल, सब्जी, बासमती चावल में संविदा खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं.

संविदा खेती के संबंध में संयुक्त संचालक डॉ. गुरूदेव सिंह ने समिति को बताया कि पेड्डी और गेहूं की फसल लगाने से कई समस्यायें आ रही थी जैसे-एक ही तरह की फसल लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही थी इसलिए पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया कि फसल चक्र परिवर्तन किया जाए. उन्होंने समिति को बताया कि प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री जार्ज ने एक प्रतिवेदन केन्द्र शासन को दिया था कि एक फसल के बाद हमेशा किसान को दूसरी फसल लगाना चाहिए चावल के बाद ऐसी कोई फसल नहीं है कि जिससे किसान इतनी उपज ले सके. इसके लिए योजना बनाकर सरकार को भेजी गई. उन्होंने समिति को बताया कि फसल परिवर्तन के लिए विभिन्न तरीके से किसान को समझाते हैं और उन्हें संविदा खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रवंधक श्री खुराना ने समिति को बताया कि संविदा खेती वैसे तो पहले से प्रचलित है. किन्तु अधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 से 22 हजार एकड़ में रबी की फसल के साथ प्रारंभ हुई. इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों को ज्यादा आय हो और उनकी उपज का निश्चिंत खरीददार हो. ताकि उनको विपणन की समस्या न हो और जो पानी का लेबल नीचे जा रहा है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है. उसको भी रोक सके.

श्री खुराना ने समिति को बताया कि इसके लिए संविदा खेती के माध्यम से पंजाब राज्य में तिलहन, दलहन, बासमती, मक्का, बाजरा और ज्वार की खेती कर रहे हैं. साथ ही एग्रो फारेस्ट्री की दिशा में भी संविदा खेती प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं. श्री खुराना ने समिति को बताया कि वर्ष 2003-04 में एक लाख 87 हजार एकड़ में खेती हुई थी और 04-05 में ढाई लाख एकड़ में हो रही है. संविदा खेती के लिए संविदा करने के लिए हम किसान को उस फसल के बारे में अवगत कराते हैं. उस फसल के बारे में उसकी कीमत के बारे में, उसकी उत्पादन क्षमता के बारे में, अवगत कराते हैं ताकि किसान फसल को संविदा खेती के माध्यम से कराने के लिए सहमत हो. इसके लिए हमने कई बड़ी कंपनियों से भी चर्चा की. किसानों को फसल की कीमत और गुणवत्ता के संबंध में पहले ही जानकारी दे दी जाती है ताकि किसान को उसे बेचने में कोई असुविधा नहीं हो. प्रारंभिक स्तर पर समस्यायें आ रही थी किन्तु अब संविदा खेती में कोई विशेष दिक्कत नहीं है श्री खुराना ने समिति को बताया कि तिलहन और दलहन के मामले में नेफेड के साथ समझौता किया और मिनिमम सपोर्ट प्राईज के तहत किसानों को संविदा खेती के लिए प्रेरित किया.

श्री खुराना ने समिति को यह भी बताया कि संविदा खेती में कृषि उपज को क्रय की जाने के दर पूर्व निर्धारित रहती है. फिर भी फसल आने पर यदि मार्केट में उसकी कीमत पूर्व निर्धारित दर से कम रहती है, तो किसान अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र है संविदा खेती नियत दर से मार्केट दर कम होती है तो उसकी पूर्ति पंजाब एग्रो इं.लि. करता है या यदि संविदा खेती करने वाला क्रेता पक्षकार फसल को नहीं खरीदता है तो उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पं. ए. इं. लि. क्रय करता है.

सुश्री सीमा जैन ने समिति को बताया कि हालांकि संविदा खेती संबंधी प्रावधान अभी भी अधिनियम में नहीं है किन्तु सरकार की यह कोशिश है कि जो भी नीति बने वह किसान समर्थक नीति हो ताकि किसान को किसी भी हालात में नुकसान न हो इसलिए किसान को यह छूट दी गई कि संविदा खेती करने के बाद यदि वह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को उपज बेच सकता है ताकि उसे उसकी फसल का उचित मूल्य मिले. श्री खुराना ने समिति को बताया कि संविदा खेती करने के लिए किसी भी किसान को बाध्य नहीं किया जा सकता है यह किसान की इच्छा पर निर्भर है कि वह संविदा खेती करे न करे. यदि किसी गांव में एक किसान भी संविदा खेती करना चाहता है तो वह संविदा खेती कर सकता है. यह पूछे जाने पर कि क्या क्रेता सीधे [illegible] से एग्रीमेंट [illegible] सकता है इस पर श्री खुराना ने बताया कि वैसे तो कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है लेकिन वह हमारे माध्यम से संविदा खेती नहीं [illegible] उसे वह नहीं मिलेगे. संविदा खेती करने हेतु उसे रजिस्टर्ड होना होगा ताकि उसके हितों की रक्षा हो सकें. सुश्री सीमा जैन ने समि[illegible] सीधे संविदा खेती करती है. यह पूछे जाने पर कि केन्द्र शासन द्वारा जो यहां निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि मा[illegible]

किये तो केन्द्र शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उस संबंध में पंजाब केन्द्र शासन से सुविधाएं आदि प्राप्त होती है. श्री खुराना ने बताया कि संविदा खेती के मामले में अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है और जो भी पैसा मिलता है वह माडल एक्ट संशोधन प्राप्त होने के बाद मिलेगा. यह पूछे जाने पर कि संविदा खेती करने के बाद किसान क्रेता को इसकी उपज नहीं बेचता है तो उस स्थिति में क्रेता को क्या सुविधाएं प्राप्त है ? वैसे अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन यह वास्तविकता है कि जितना एग्रीमेंट होता है उतना कंपनी को नहीं मिलता है क्योंकि किसान संविदा करने के बाद अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है.

1. पंजाब मंडी बोर्ड के महाप्रबंधक श्री रंधावा ने समिति को बताया कि माडल एक्ट अनुसार प्रायवेट लोगों को विपणन में सहभागिता लेने के संबंध में पंजाब कृषि उपज विपणन अधिनियम मे प्रायवेट मार्केट यार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है. प्रायवेट मंडी स्थापित करने के लिए नियम आदि बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. वर्ष 1998 से हमने यह भी प्रावधान किया है कि किसी प्रोसेसर के पास यदि जगह है तो हम उसके एरिया को अस्थाई रूप से मार्केट यार्ड घोषित कर देते हैं ताकि कि बिना किसी विलम्ब के सीधे क्रेता को अपनी उपज बेच सके. इससे किसान को, बिचौलियों से मुक्ति मिलती है, जिससे फल, सब्जियां आदि अल्प अवधि में ही मार्केट यार्ड में उपलब्ध हो जाती है.

2. प्रायवेट मार्केट यार्ड के संबंध में श्री रंधावा ने समिति को बताया कि प्रायवेट मार्केड यार्ड की स्थापना से भी किसानों को लाभ ही होगा क्योंकि एक ही मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक मार्केट यार्ड होने पर सभी किसानों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इसमें यह सही है कि शासकीय मण्डी का भार कम होगा लेकिन किसान को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं होगी. लेकिन किसान वहीं जाएंगे जहां उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं मिलेंगी. सुश्री सीमा जैन ने बताया कि प्रायवेट मंडी यार्ड के संबंध में संशोधन हो चुका है इनके नियम आदि बनाना अभी शेष है. श्री रंधावा ने समिति को बताया कि भारत सरकार ने प्रायवेट मंडी यार्ड की स्थापना करने वालों राज्य को अनुदान देने का प्रावधान किया है. मार्केटिंग विपणन के लिए आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए जो भी लागत आयेगी उसी में भारत सरकार अनुदान देगी.

चर्चा के अंत में सभापति महोदय ने पंजाब राज्य के कृषि विभाग, मण्डी बोर्ड के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की तदुपरांत बैठक 4.15 बजे स्थगित हुई.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर गठित प्रवर समिति का पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

(दौरा दिनांक 29 अगस्त, 2005 से 4 सितम्बर, 2005 तक)

स्थान - चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन (हरियाणा)

दिनांक 31 अगस्त, 2005
समय 4.35 बजे अपरान्ह

हरियाणा राज्य के कृषि विभाग एवं मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का संक्षेप

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे-

सभापति

1. माननीय श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, विधान सभा

सदस्य

2. माननीय श्री ननकीराम कंवर
3. माननीय श्री अघनसिंह ठाकुर
4. माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया
5. माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा
6. माननीय श्री प्रीतम सिंह दीवान

हरियाणा राज्य के कृषि विभाग तथा मंडी बोर्ड के अधिकारी

1. सुश्री आशा शर्मा, प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग
2. सुश्री नवराज संधू, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
3. श्री धनपत सिंह, संचालक, कृषि विभाग एवं हरियाणा राज्य कृषि विभाग एवं विपणन बोर्ड के अधिकारीगण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

1. श्री चन्द्रशेखर गंगराडे, उप सचिव
2. श्री मनोहरलाल सोमकुंवर, अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड के अधिकारी

1. श्री उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड

समिति की बैठक माननीय श्री बद्रीधर दीवान के सभापतित्व में प्रारंभ हुई.

परिचय उपरांत हरियाणा राज्य कृषि विभाग की प्रमुख सचिव सुश्री आशा शर्मा ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कार्य प्रणाली के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी और समिति को बताया कि पहले हरियाणा राज्य पंजाब का ही अंग था. वर्ष 1966 में पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के समय हरियाणा राज्य एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था और अलग होने के बाद हरियाणा ने हरित क्रांति को बहुत गंभीरता से शुरु किया और उसके बाद कृषि के मामले में काफी तरक्की की.

हरियाणा राज्य के कृषि विभाग के संचालक श्री धनपत सिंह ने समिति को बताया कि कृषि उत्पादन के मामले में हरियाणा का नम्बर पंजाब के बाद आता है और यहां के कृषक गेंहू और धान की फसल अधिक लेते हैं. सुश्री आशा शर्मा ने समिति को बताया कि हरियाणा राज्य में 1969 में कृषि उपज के विपणन की दृष्टि से मार्केटिंग बोर्ड स्थापित किया गया था. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कृषि उपज विपणन के संबंध में जो माडल एक्ट भेजा है, उसमें जो मुख्य तीन चीजे हैं, उनको हरियाणा राज्य में लगभग उसी स्वरूप में या कम या अधिक शामिल किया गया है. जिसमें से प्रमुख प्रावधान संविदा खेती का है, उसका अनुमोदन भारत सरकार से हो चुका है और शीघ्र ही विधान सभा के आगामी सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा. दूसरा प्रावधान डायरेक्ट मार्केटिंग और प्रायवेट मंडी की स्थापना के संबंध में अधिनियम में संशोधन किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है. विभागीय प्रमुख सचिव ने समिति को बताया कि वर्तमान में भी कुछ प्रायवेट कंपनियों संविदा खेती कर रहीं हैं और लगभग 5 हजार हेक्टेयर जमीन में संविदा खेती हो रही है किन्तु राज्य शासन की किसी एजेंसी के तहत उसका पर्यवेक्षण नहीं होता है. विभागीय सचिव ने समिति को बताया कि संविदा खेती में हरियाणा राज्य में मुख्य प्रावधान यह है कि जिस कंपनी या किसान को कांट्रेक्ट फार्मिंग करनी होगी उसके लिए उसे हरियाणा राज्य के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिये शासन के अधिकारी किसानों को कांट्रेक्ट करने के संबंध में मदद भी करेंगे.

विभागीय सचिव ने समिति को बताया कि किसान और क्रेता के बीच विवाद होने पर उसकी अपील मार्केटिंग बोर्ड में की जाती है फिर भी यदि विवाद न सुलझे तो उसके आगे अपील का प्रावधान रहेगा. विभागीय सचिव ने बताया कि अभी नियम आदि भी नहीं बने है. विस्तार से इसका परीक्षण हो रहा है. विभागीय सचिव ने समिति को बताया कि संविदा खेती के प्रावधान के संबंध में केन्द्र शासन के गृह मंत्रालय से अनुमोदन लिया गया क्योंकि अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि कृषक और क्रेता के मध्य विवाद होने पर उसके अंतिम निर्णय के विरुद्ध कोई भी पक्षकार न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेगा.

विभागीय सचिव ने बताया कि यह प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि किसान के पास इतने साधन नहीं होते कि वे कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ सके. जबकि यह हो सकता है कि क्रेता अधिक पैसे वाला और पढ़ा लिखा हो इसलिए यदि क्रेता कांट्रेक्ट करने के बाद फसल लेने से इंकार करता है तो शासन की अथारिटी ही उस मामले में 6 महीने के अन्दर निर्णय देगी और यदि उस निर्णय के विरुद्ध भी कोई अपील होती है तो उसका निर्णय भी 6 महीने के अन्दर करना होगा. उस अपील के खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता. इस प्रावधान से किसानों को यह लाभ होगा कि उसे यह पता रहेगा कि एक निश्चित अवधि में और एक निश्चित स्तर से उसके मामले का निराकरण हो जाएगा. विभागीय सचिव ने यह भी बताया कि विधेयक में यह भी प्रावधान रखा गया है कि कृषक की जमीन पर कृषक का ही स्वामित्व रहेगा और उसकी जमीन किसी भी स्थिति में रहन या गिरवी नहीं रखी जायेगी. यह भी प्रावधान है कि किसान का खेत जिस मंडी कमेटी एरिया में है संविदा खेती करने वाले किसान को भी उसी एरिये की मंडी कमेटी में रजिस्टर्ड होना होगा. खरीददार भी रजिस्ट्रेशन करायेगा. किसान व्यक्तिगत क्षमता में या सहकारी समिति बनाकर या कंपनी बनाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ऐसा एग्रीमेंट विधिक होगा और जो किसान संविदा खेती करना चाहेगा वही करेगा किसान के ऊपर कोई बंधन नही होगा या अनिवार्यता नहीं होगी.

संविदा खेती से होने वाले लाभ के संबंध में विभागीय सचिव ने समिति को बताया कि वर्तमान में ज्यादातर किसान गेहूं या चावल की फसल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शासन उनकी फसल को खरीद लेगा. चाहे उन्हें उनकी उपज का वास्तविक मूल्य मिले या नहीं. इस कारण हो यह रहा है कि पहले हरियाणा में धान नहीं होता था. लेकिन अब धान की फसल की अधिकता के कारण पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है और किसान को यदि धान के बदले कोई अन्य फसल लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो किसान को उसके विपणन की चिंता रहती है इसलिए किसान धान और गेहूं के अतिरिक्त अन्य कोई फसल लगाना नहीं चाहता. संविदा खेती से यदि उसे उसकी फसल के विपणन की व्यवस्था रहेगी, तो उसे धान या चावल के स्थान पर कोई अन्य फसल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. किसान को यह पता रहेगा कि उसकी फसल इस दर पर निश्चित रूप से क्रेता खरीद लेगा, तथा वह अधिक लाभ वाली फसल लेने के लिए ही तैयार रहेगा. वर्तमान में स्थिति यह है कि फसल आने पर यदि दाम कम होते हैं, तो उसका नुकसान सीधे किसान को होता है और पहले से कीमत तय रहने पर उसे एक निश्चित मूल्य मिलने की तो गारंटी रहेगी और किसान ऐसी फसल लाने के लिए प्रेरित होगा, जिसमें उसको अधिक लाभ होने की संभावना हो.

कृषि विभाग के संचालक ने समिति को बताया कि संविदा करने के बाद कांट्रेक्टर किसान की फसल नहीं लेता है, तो क्रेता को पेनाल्टी देनी होगी और नियम में इस प्रकार का प्रावधान किया जायेगा कि उसे कुछ-न-कुछ हर्जाना देना पड़े.

हरियाणा कृषि मंडी बोर्ड के मुख्य प्रबंधक श्री नवराज संधु ने समिति को बताया कि एग्रीमेंट की शर्तों में लचीलापन रखा जाएगा ताकि दोनों पक्ष जिसे जो भी शर्त सुविधाजनक लगे उसे वह मान्य कर ले. पंजाब राज्य में यह प्रावधान किया गया है कि यदि क्रेता अनुबंध करने के बाद फसल नहीं खरीदता है तो उसकी फसल को एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड खरीद लेगी ताकि किसान को अपनी फसल को लेकर इधर-उधर न दौड़ना पड़े. ऐसे ही और विकल्पों पर हरियाणा सरकार में विचार विमर्श चल रहा है. संचालक श्री धनपत सिंह ने यह भी बताया कि व्यापारी कांट्रेक्ट करने के बाद कृषि उपज नहीं खरीदता है

तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. उसे ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है यह भी हो सकता है कि प्रति एकड़ संभावित उपज के हिसाब से कुछ अग्रिम जमा करा लिया जाए उनका यह भी कथन था कि जब क्रेता बीज, दवाई आदि सब कुछ किसान को पहले ही दे देगा तो इस बात की संभावना कम रहेगी कि क्रेता फसल न खरीदे क्योंकि उसकी कुछ न कुछ राशि पहले ही से लग चुकी है, इसलिए ऐसी स्थिति में फसल न खरीदें इस बात की संभावना न्यूनतम रहेगी.

प्रायवेट मार्केट यार्ड की स्थापना के संबंध में सुश्री नवराज संधु ने समिति को बताया कि वर्तमान में प्रायवेट मार्केट यार्ड का प्रावधान नहीं है लेकिन प्रायवेट मार्केड यार्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है. और यह प्रयास रहेगा कि जो भी कंपनी प्रायवेट मार्केट यार्ड के लिए सामने आयेगी वे अच्छी कंपनी हो, उनके पास जगह और राशि की पर्याप्त व्यवस्था हो. संचालक श्री सिंह ने समिति को बताया कि वर्तमान में मंडी एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी मिल के परिसर को अस्थायी मार्केट यार्ड के रूप में अस्थाई रूप में घोषित कर सकते हैं. श्री सिंह ने समिति को बताया कि संविदा खेती से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है जो नुकसान होना था वह हो चुका और यदि फसल चक्र परिवर्तन करना है तो संविदा खेती को अपनाना होगा. बिना संविदा खेती किये फसल चक्र परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है. यह पूछे जाने पर कि क्या संविदा खेती में क्रेता से कोई बैंक गारंटी आदि होने का भी प्रावधान है. इस पर सुश्री संधु ने समिति को बताया कि कई श्रेणी के प्रावधान हो सकते हैं, उसके लिए विकल्प रखे जायेंगे और संविदा करने वाले दोनों पक्ष जिस विकल्प को चाहेंगे उस विकल्प पर सहमत हो सकते हैं. संचालक सुश्री संधु ने समिति को यह भी बताया कि विधेयक पास होने के बाद सारे नियम शर्तें संबंधी प्रावधान नियमों में किये जायेंगे.

अंत में सभापति महोदय ने हरियाणा प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों एवं मंडी बोर्ड के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया तदुपरांत समिति की बैठक 6.00 बजे स्थगित हुई.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर गठित प्रवर समिति का पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

(दौरा दिनांक 29 अगस्त, 2005 से 4 सितम्बर, 2005 तक)

स्थान - होटल हॉलिडे होम, शिमला

दिनांक 1 सितम्बर, 2005
समय 2.30 बजे अपरान्ह

हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग एवं मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का संक्षेप

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे-

सभापति

1. माननीय श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, विधान सभा

सदस्य

2. माननीय श्री ननकीराम कंवर
3. माननीय श्री अघनसिंह ठाकुर
4. माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया
5. माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा
6. माननीय श्री प्रीतम सिंह दीवान

हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री, उपाध्यक्ष विधान सभा, कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष तथा कृषि विभाग तथा मंडी बोर्ड के अधिकारी

1. माननीय श्री राजकृष्ण गौड़, कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार
2. माननीय श्री धर्मपाल ठाकुर, उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा
3. श्री सत्यप्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष कृषि विपणन बोर्ड
4. श्रीमती भारती सिहाग, सचिव, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश
5. श्री जे. सी. राणा, संचालक, कृषि संचालनालय, हिमाचल प्रदेश
6. श्री ओ. सी. वर्मा, सचिव, राज्य कृषि विपणन बोर्ड
7. श्री देवेन्द्र श्याम, अध्यक्ष, कृषि उपज विपणन कमेटी एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के कृषि विभाग एवं विपणन बोर्ड के अधिकारीगण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

1. श्री चन्द्रशेखर गंगराडे, उप सचिव
2. श्री मनोहरलाल सोमकुंवर, अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड के अधिकारी

1. श्री उजागर सिंह, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड

सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने मंडी बोर्ड की कार्य प्रणाली के संबंध में संक्षेप में जानकारी दी. हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री श्री राजकृष्ण गौड़ ने समिति को बताया कि हिमाचल में लगभग 84 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं. इसलिए सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो ताकि किसानों के जीवन में खुशहाली आये. इसलिए यह अनुभव किया गया कि फसलचक्र परिवर्तन के माध्यम से कृषि में ऐसे क्षेत्र विकसित किये जाए जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो. कृषि उत्पादन आमदनी का अच्छा जरिया तभी बन सकता है जब उसके विपणन की व्यवस्था अच्छी हो. इसलिए सरकार ने न केवल किसानों से उनकी उपज को बढ़ाने की बात की बल्कि फसल को काटने के बाद उसके विक्रय की बात भी की. भारत सरकार ने जो माडल एक्ट भेजा है, उससे यह निश्चित है कि प्रायवेटाईजेशन के माध्यम से कांपीटिशन बढ़ेगा. कांपीटिशन से एफिसिएंसी बढ़ेगी और एफिसिएंसी बढ़ने से किसान को काफी रियायतें और लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री ने समिति को बताया कि इसी उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में भी केन्द्र सरकार के माध्यम से एक्ट के अनुरूप प्रावधान किये गये हैं.

श्री सत्यप्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष, कृषि विपणन बोर्ड ने समिति को बताया कि माडल एक्ट के अनुरूप प्रायवेट मार्केट यार्ड और संविदा खेती का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि माडल एक्ट को लागू करने से कई प्रकार के फायदे हैं. सबसे पहला फायदा तो यह है कि यदि आप अपनी कृषि उपज को संविदा पर दे देते हैं, तो जो किसान मार्केट तक नहीं जाना चाहता, वह अपनी उपज अपने खेत पर ही विक्रय कर सकता है. इससे उसका जो दूसरे प्रकार की समस्यायें होती हैं, वह नहीं होंगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश में संविदा खेती होती है लेकिन वह विधिक रूप की नहीं है. संविदा खेती का प्रावधान अधिनियम में करने से उसको रेगुलेट मार्केटिंग विपणन बोर्ड करता है.

यह पूछे जाने पर कि माडल एक्ट को लागू करने से केन्द्र सरकार से क्या-क्या सुविधायें मिलेंगी. श्रीमती भारती सिहाग, सचिव, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश ने समिति को बताया कि माडल एक्ट लागू करने से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने पर मापदण्ड के हिसाब से सहायता या अनुदान प्राप्त होगा. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह अनुदान 33 प्रतिशत है. उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए संभवत: यह 25 प्रतिशत है. श्रीमती सिहाग ने समिति को बताया कि केन्द्र सरकार ने यह शर्त रख दी है कि जब तक इस माडल एक्ट के प्रावधान को लागू नहीं करेंगे तब तक इस स्कीम के तहत सहायता नहीं मिलेगी. उन्होंने उदाहरण देते हुये समिति को बताया कि हिमाचल प्रदेश में ढल्ली मार्केट का आधुनिकीकरण के लिए जिसकी कि प्रोजेक्ट कास्ट 70 करोड़ है, उसके लिए केन्द्र सरकार से 16-17 करोड़ रुपये की सबसिडी मिल रही है. उन्होंने आगे यह बताया कि इस एक्ट से सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान मार्केट के हिसाब से अपनी फसल पैदा करेगा क्योंकि उसे यह पता लग जाएगा कि मार्केट में किस फसल की डिमांड है और किस फसल को लगाने से उसको अधिक कीमत मिलेगी और इस प्रकार वह परम्परागत खेती के स्थान पर नई फसलों की ओर आकर्षित होगा.

मार्केट की कीमतों से प्रभावित होकर वह नई फसलों को लगाने पर विचार करेगा. इससे किसानों को फायदा होगा क्योंकि उसे उसकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी. यह पूछे जाने पर कि यदि कोई संविदा का उल्लंघन करता है, चाहे वह किसान हो या क्रेता उसके नियंत्रण की क्या व्यवस्था है श्रीमती सिहाग ने समिति को बताया कि उसके लिए आर्बिटेशन की व्यवस्था है जिसके नियम अभी बन रहे हैं. आर्बिटेशन का प्रावधान इसलिए किया है कि इसमें ट्रेडिशनल कोर्ट की तुलना में कम समय में शीघ्र न्याय मिल जाता है.

अध्यक्ष श्री ठाकुर ने समिति को बताया कि संविदा खेती किसी के लिए बंधनकारी नहीं है अगर किसी किसान के पास 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन है और वह यदि संविदा खेती करना चाहता है, तो वह कर सकता है. उससे छोटे किसान को यह फायदा होगा कि यदि उसकी उपज मात्र 10 बोरा है, और वह 10 बोरे को लेकर मंडी में नहीं जा सकता और उसको ठीक से कीमत भी नहीं मिलती है. इसलिए यदि कोई व्यक्ति उससे पहले ही संविदा कर ले और उसी के खेत में आकर उसकी कृषि उपज क्रय कर लेता है, तो उससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ट्रांसपोर्ट एवं अन्य कार्यों में लगने वाला समय और धन दोनों की बचत होगी.

उन्होंने समिति को बताया कि यदि देश या विदेश के व्यापारी को एक निश्चित मात्रा में, निश्चित गुणवत्ता का धान चाहिए और वह उसका बीज देकर छोटे-छोटे किसानों से संविदा करता है और उसके लिए यह प्रस्ताव देता है कि तय कीमत दी जायेगी तो यदि किसान को उसके उपज की निश्चित कीमत मिलती है तो वह उसके साथ संविदा कर सकता है. यह भी प्रावधान है कि यदि संविदा करने के बाद क्रेता उपज़ नहीं खरीदता है, तो मार्केट बोर्ड क्रेता के ऊपर फाईन कर सकता है. किसान आर्बीटेशन में जा सकता है तथा संविदा खेती छोटे-छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और बड़े किसान भी चाहते हैं कि उसे एस्योर्ड मार्केट मिले तो वह भी संविदा खेती कर सकता है. उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट में विभिन्न प्रकार की शर्तों का समावेश किया गया है कि किस शर्त पर कितने दिनों में पैसा दिया जाएगा. फाइनल पेमेंट कैसे होगा, यह सब एग्रीमेंट में रहेगा.

इस प्रकार संविदा खेती में कृषि उपज का एस्योर्ड क्रेता होता है और उसकी प्राईज भी एस्योर्ड रहती है. विदेश में सुपर मार्केट अनाज को सीधे प्रोड्यूसर से लेकर सीधे ग्राहक को दे रहे हैं, इसमें जो बीच में बिचौलिये होते हैं, उनका दखल खत्म होकर ग्राहक को रिजनेबल प्राईज में सामान बेच रहे हैं इससे बिचौलिये की भूमिका खत्म होगी यह भी संविदा खेती का एक महत्वपूर्ण फायदा है.

कृषि मंत्री ने बताया कि संविदा खेती से फायदा है कि हम जो परम्परागत खेती करते हैं; उसके कारण कृषि भूमि बंजर होती जा रही है और जो छोटा किसान है उसको जमीन से आमदनी नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी उसकी उपज का कोई निश्चित खरीददार नहीं है इससे वह खेती करता रहता है और जीविका के लिए कोई और जगह मजदूरी करता है: उसका ध्यान अपनी उपज बढ़ाने के स्थान पर अपनी जीविका चलाने की ओर ज्यादा है.

प्रायवेट मार्केट यार्ड के संबंध में विभागीय सचिव ने बताया कि प्रा. मा. या. अभी स्थापित नहीं है लेकिन इसके लिए नियम प्रक्रिया आदि बन रहे हैं जो प्रा. मा. या. स्थापित करेगा उसको लायसेंस लेना होगा इसके नियम आदि अक्टूबर माह तक बनकर तैयार हो जायेंगे.

संविदा खेती के बारे में अध्यक्ष श्री ठाकुर ने समिति को बताया कि व्यापारी जिस दर पर मूल्य तय करेगा, वह रेट तो उसे देना ही पड़ेगा. भले ही फसल आने के समय मार्केट में रेट कम क्यों न हो जाए. शर्त के अनुरूप रेट नहीं देगा तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड नियम बनायेगा. संविदा खेती के नियम यह है कि जो आदमी संविदा करेगा वह किसान को खाद, बीज, दवाइयां और रख-रखाव के सारे सामान भी देगा और उसके साथ ही कीमत भी पहले से तय करेगा क्योंकि वह वही कीमत देगा जो उसके मतलब की होगी.

श्री जे. सी. राना ने समिति को बताया कि संविदा खेती करने के पहले व्यापारी और किसान को मार्केट कमेटी में रजिस्टर्ड होना होगा और रजिस्ट्रेशन किसी निश्चित शर्त पर होगा, उन्होंने यह भी बताया कि प्रायवेट मंडी की स्थापना होने के बाद भी किसान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रायवेट मंडी में जाए यदि उसे शासकीय मंडी में अधिक सुविधायें मिल रही हैं तो वह वहीं लाकर अपना माल बेच सकता है.

कृषि मंत्री ने बताया कि यदि आप फसल चक्र परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्राप पेटर्न को परिवर्तन नहीं कर सकते तो सुधार की बात करने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने उदाहरण दिया कि बासमती चावल 80 रु. किलो मिलता है और साधारण चावल 20 रुपये किलो यदि किसी किसान के पास साधन है तकनीक है तो वह बासमती चावल क्यों नहीं पैदा करेगा, जिसका उसे निश्चित खरीददार मिलेगा. उन्हें यह बताये जाने पर कि बासमती चावल एक एकड़ में 5 बोरे ही होता है और साधारण चावल 20 बोरा होता है इस पर उन्होंने बताया कि इस विचारधारा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई महत्व नहीं है. अमेरिका ने हमारे बासमती चावल की गुणवत्ता को रिफ्युज कर दिया है और उसकी नई वैरायटी विकसित की है. यदि आधुनिक तकनीक किसान तक नहीं पहुंचेगी तो किसान को फायदा नहीं होगा. और किसान परम्परागत खेती ही करता रहेगा तथा उसका भला नहीं होगा.

श्रीमती सिहाग ने समिति को बताया कि यदि कोई किसान संविदा खेती करना चाहता है तो उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं है जिस किसान को संविदा खेती से लाभ नहीं होगा वह उसे क्यों करेगा. संचालक श्री राणा ने समिति को बताया कि संविदा खेती की सफलता उन्हीं फसलों में मिलेगी जिनकी उपलब्धता कम होगी. जो फसल पर्याप्त मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है उनके लिए कोई क्यों संविदा खेती करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि संविदा से किसान की भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

माडल एक्ट लागू करने से जो फायदे मिलने वाले हैं. उनके संबंध में बताया कि हमारे संसाधन सीमित है यदि हमें कम पैसा लगाकर 33 प्रतिशत अनुदान मिल जाता है तो हमारे संसाधन बढ़ जायेंगे और इससे अंततोगत्वा लाभ प्रदेश को और जनता को मिलेगा. संविदा खेती से बिचौलियों का खात्मा होगा. यदि किसान और ट्रेडर के मध्य संविदा होगी तो इसका पूरा फायदा किसान को मिलेगा. श्रीमती सिहाग ने समिति को बताया कि जो फसल कम मात्रा में उत्पादित हो रही है, उसके लिए संविदा खेती बहुत अच्छा है जब संविदा खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा तो इससे फसलचक्र परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा और किसान परम्परागत खेती के बदले नई फसल लगायेगा, जिसमें बिचौलिया प्रथा भी समाप्त होगी और फसल चक्र परिवर्तन के लिए सामाजिक क्रांति आयेगी.

संविदा खेती की अन्य विशेषताओं के संबंध में अध्यक्ष श्री ठाकुर ने समिति को बताया कि संविदा खेती में मुख्यरूप से 3 बातें हैं. पहली तो यह कि कीमत पहले से निर्धारित होने से एक तरह से यह किसान से समर्थन मूल्य में उपज खरीदना ही है. दूसरा किसान का समय बचेगा, उसको हर एक चीज वहीं पर मिलेगी जिससे उसकी प्रोडक्शन कास्ट भी कम होगी और उसके बेचने के तरीके से भी किसान को लाभ होगा. तीसरा यदि आप फसल चक्र परिवर्तन के द्वारा दलहन, तिलहन के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, तो यह तभी संभव होगा जब इसके मार्केटिंग की व्यवस्था होगी.

यह पूछे जाने पर कि अगर क्रेता फसल को नहीं खरीदता, तो उसकी भरपायी कौन करेगा ? क्या क्रेता से अग्रिम राशि जमा करवाई जा सकती है. इस पर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के श्री देवेन्द्र श्याम ने समिति को बताया कि जिसने संविदा की है, वह किसान को बीज, दवा, आदि देगा, तो वह फसल क्यों नहीं खरीदेगा.

अंत में समिति ने कृषि विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तदुपरांत बैठक 4.30 बजे स्थगित हुई.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.